क्रम-संख्या–245 (ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 18, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1373 / ग्यारह-2–20–9(47)-17-उ0प्र0अधि0–1-2017-आदेश-(165)-2020

लखनऊ, 9 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0–521

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसें आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशें पर, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियें को उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो त्रिमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में जमा करके उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन देय कर का संदाय कर सकेंगे,–

(i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैंतीस प्रतिशत; या

(ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां ठीक पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व :

परन्तु–

(क) त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नही है,

(ख) त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रिमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नही है,

वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगाः

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नही की है।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पद "पूर्ण कर अवधि" का तात्पर्य ऐसी कर अवधि से है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है।

2–यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1373/XI-2–20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(165)-2020, dated December 9, 2020 :

No. 1373/XI-2–20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(165)-2020

Dated Lucknow, December 9, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 148 *read* with sub-section (7) of section 39 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39 of the said act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to,-

(i) Thirty five percent, of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or

(ii) The tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quater where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

(a) for the first month of the quater, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability;

(b) for the second month of the quater, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

Explanation- For the pupose of this notification the expression "a complete tax period" means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

By order,

ALOK SINHA,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 617 राजपत्र–2021–(1233)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 70 सा0 राज्य कर–2021–(1234)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

617 RPH rajaya kar anu-2--2021- data 4e